रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938
No. 608] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 28 फरवरी, 2017

का.आ. 678(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, असम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, असम कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री कृष्णा गोपाल भट्टाचार्य, अध्यक्ष
 प्रोफेसर रसायन (सेवानिवृत्त),
 डी 8, डोना प्रेसिडेंसी, वीआईपी रोड सिक्स माइल, गुवाहाटी 781002
2. डा. दीपक कुमार बरुआ, सदस्य
 राजादौर, नार्थ गुवाहाटी, गुवाहाटी -781030, कामरूप, असम
3. सचिव, पर्यावरण और वन विभाग, सदस्य-सचिव
 असम सरकार ।

2. प्राधिकरण, असम के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, असम ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

4. प्राधिकरण, असम इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन राज्य सरकार के लिए गठित राज्य विशेषज्ञ समिति, असम की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, असम को सहायता करने के प्रयोजन के लिए असम सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, असम गठित करती है जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1.	श्री जतिन कलिता, प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, डीन विज्ञान संकाय, प्राणी विज्ञान, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी – 781014	अध्यक्ष
2.	डा. प्रभात कोटोकी, पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्), जोरहाट – 785006 असम	सदस्य
3.	डा. अनंता स्वरगीरी, सहायक प्रोफेसर प्राणी विज्ञान, बोडोलैंड विश्वविद्यालय	सदस्य
4.	प्रो. कौशल कुमार बरुआ पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, तेजपुर (केंद्रीय) विश्वविद्यालय, तेजपुर – 784028, असम	सदस्य
5.	श्री प्रबीर रंजन शोम, हाऊस नं. 12, सी/ओ-स्व. पाखी राम डेका, करब पथ, हटीगढ़, गुवाहाटी	सदस्य
6.	डा. बिजोय शंकर गोस्वामी, हाऊस नं. 35, बिजय नगर, नूनमति गुवाहाटी – 781020, असम	सदस्य
7.	डा. बोनोडे कुमार बरुआ, प्रशासनिक कार्यालय, कॉटन कालेज, राज्य विश्वविद्यालय पानबाजार, गुवाहाटी – 781001	सदस्य
8.	श्री रातुल कुमार पटवारी, पश्चिमी जालुकबाडी (लंकेश्वर पो.आ. गुवाहाटी विश्वविद्यालय पी.एस. जालुकाडी, जिला कामरूप (असम) – 781014	सदस्य

IndiaCode

9. श्री रुफीक अहमद, सदस्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम

बामुनिमैदाम, गुवाहाटी – 21

10. डा. बिमला प्रसाद बरुहा, सदस्य

चिरातिया गांव, बाई लेन 1,

हाऊस नं. 43बी, जोरहाट 785006, असम

11. सदस्य सचिव, सदस्य सचिव

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम

6. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, असम के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समाघात प्राधिकरण, असम ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समाघात प्राधिकरण, असम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. असम सरकार, प्राधिकरण, असम और राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, असम के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, असम के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, असम के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता असम सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होंगे ।

[सं.जे-11013/3/2007-आई.ए.।।(।)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O. 678(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuanceof the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Assam (hereinafter referred to as the Authority,Assam) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Krishna Gopal Bhattacharyya, Professor of Chemistry (retired), D-8, Dona Presidency, VIP Road Six Mile, Guwahati 781002	- Chairman;
2.	Dr. Deepak Kumar Baruah, Rajaduar, North Guwahati, Guwahati-781030, Kamrup, Assam	- Member;
3.	Secretary, Environment and Forest Department, Government of Assam	- Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Assam shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Assam shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Assam shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Assam.

5. For the purposes of assisting the Authority, Assam, the Central Government, in consultation with the Government of Assam, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Assam comprising of the following Members, namely :-

1.	Shri Jatin Kalita, Professor, Head of Department, Dean faculty of Science, Department of Zoology, Gauhati University Guwahati – 781014	Chairman;
2.	Dr.Probhat Kotoky, North East Institute of Science and Technology (Council of Scientific & Industrial Research), Jorhat – 785006 Assam	Member;
3.	Dr. Ananta Swargiary, Assistant Professor Department of Zoology, Bodoland University.	Member;
4.	Prof.Kaushal Kumar Baruah, Department of Environmental Science, Tezpur (Central) University, Tezpur – 784028, Assam.	Member;
5.	Shri Prabir Ranjan Shome, House No-12, C/o-Late Pakhi Ram Deka, Karb Path, Hatigarh, Guwahati.	Member;
6.	Dr. Bijoy Sankar Goswami, House NO-35, Bijay Nagar, Noonmati Guwahati – 781020, Assam	Member;
7.	Dr. Bonode Kumar Baruah, Administrative Office, Cotton College, State University Panbazar, Guwahati – 781 001	Member;
8.	Shri Ratul Kumar Patowary, West Jalukbari (Lankeswar P.O.Gauhati University P.S. Jalukari, District Kamrup (Assam) – 781014	Member;
9.	Shri Rafiqua Ahmed, Pollution Control Board, Assam Bamunimaidam, Guwahati-21	Member ;
10.	Dr. Bimala Prasad Baruah, Chiratia Village, Bye Lane 1, House No 43 B, Jorhat 785006, Assam	Member ;
11.	Member Secretary, State Pollution Control Board, Assam	Secretary.

6. The Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

IndiaCode

8. The State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of Assam shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Assam and the State Level Expert Appraisal Committee,Assam, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the Authority, Assam and the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Assam shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of Assam.

[J-11013/ 3/ 2007- IA.II (I)]
MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.03 16:09:41 +05'30'